HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को 02 वर्ष 10 दिवस का साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 14.08.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "गैंगस्टर एक्ट" के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- अभियुक्त आमिर पुत्र तसलीम निवासी ग्राम सिखैडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ आपराधिक क्रिया-कलापों में संलिप्त था, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 104/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 24.01.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 14.08.25 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय ADJ/FTC द्वितीय हापुड़ द्वारा 02 वर्ष 10 दिवस का साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कश्यप (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री अखिलेश प्रताप सिंह एवं पैरोकार है0का0 रघुवीर व कोर्ट मोहर्रिर का0 563 दुष्यंत राठी का विशेष योगदान रहा।